**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।**
**पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2358 सन 2026**
**CNR. No.UPSP010060552026**

**सन्नी पुत्र राजेश सिंह, निवासी ग्राम कूकडा मण्डी, थाना नई मण्डी, जिला मुजफ्फरनगर।**
**.....प्रार्थी/अभियुक्त।**

**बनाम**

**उ0प्र0 राज्य।** **.....विपक्षी।**

**मु.अ.सं. 210/2023**
**धारा 379, 411 भा.दं.सं**
**थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर।**

**<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>**

**<u>05.06.2026</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त **<u>सन्नी</u>** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ राजकुमार पुत्र सागर सिंह का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी राजेन्द्र द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादी की मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस यू.पी.11सी.डी–7360 उसकी बहन के घर के बाहर खडी थी, जो दिनांक 25.11.2023 को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोटरसाईकिल बरामद हुई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा व गलत फसाया है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी का कथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थी ने कोई चोरी नही की है, जबकि प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा जिला कारागा मु0नगर से बी वारन्ट पर तलब कर जेल भेजा गया है। उस वाद में प्रार्थी को घर से उठाकर अभियुक्त बनाया गया था, जिस मोटरसाईकिल की बरामदगी के आधार पर प्रार्थी को जेल भेजा गया है, उसमें प्रार्थी की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नही है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एंव केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी की मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस यू.पी.11सी.डी–7360 चोरी करने तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त चोरी की मोटरसाईकिल बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार मामले में विवेचक द्वारा दिनांक 29.02.2024 को अन्तिम आख्या प्रेषित किया जाना तथा दौरान विवेचना दिनांक 16.04.2026 को अभियुक्त को थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 105/2026 अर्न्तगत धारा 317(4),336(2)

बी.एन.एस में गिरफतार किए जाने पर उसकी निशानहेदी पर इस मामले से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाईकिल बरामद होने पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आने पर प्रकरण की पुनः विवेचना के संदर्भ में आदेश प्राप्त कर आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 26.05.2026 को बी–वारंट पर इस मामले में तलब किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की मु0अ0सं0 105/2026 अर्न्तगत धारा 317(4),336(2) बी.एन.एस के अर्न्तगत जमानत दिनांक 05.05.2026 को स्वीकार हो चुकी है। अपने उक्त तर्क के सम्बन्ध में जमानत आदेश की प्रति दाखिल की गयी है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सन्नी** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं रहेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

**दिनांकः–05.06.2026**

**(सतेन्द्र कुमार)**
**सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**
**J.O. CODE- UP 1891**